सं.के-22019/3/2018-ईओयू

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 23 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 4 अप्रैल, 2018 को आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 2री बैठक (2018 सीरीज) -एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 4 अप्रैल, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, कमरा सं. 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड की 2री बैठक (2018 सीरीज) के लिए एजेंडा मदों की एक प्रतिलिपि इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(जी.श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23062496

ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)]/ डीजीईपी, वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आय कर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजी, डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय
8. सभी डीसी

प्रतिलिपि : सचिव के पीएसओ/एएस (बीबीएस) के वैयक्तिक सहायक/निदेशक(टीवीआर) के निजी सचिव

04.04.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित होनेवाली एओयू स्कीम के लिए 2री बीओए बैठक (2018 सीरीज) के लिए एजेंडा

.....

2 .1 (18) 05.02.2018 को आयोजित 1ली बीओए (201 8 सीरीज) की बैठक के मिनटों की पुष्टि।

2.2 (18) मैसर्स सेटेक्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत एक ईओयू- 13.12.2017 से 12.12.2018 तक पांचवें वर्ष के लिए एलओपी की वैधता के विस्तार के लिए प्रस्ताव

मैसर्स सेटेक्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को जैविक रसायन अर्थात मिथाइल इसो ब्यूटाइल कीटोन (एमआईबीके), मिथाइल इसो ब्यूटाइल कारबीनोल (एमआईबीसी),हेक्सेन ग्लाइकोल (एचजी), डी 1 एसीटोन अल्कोहल, शैल फोर्थ -10 और ओएसएचबीएस के निर्माण और निर्यात के लिए 13.12.2013 को एलओपी जारी किया गया था।

एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01 (ख) (ii) के मामले में, यदि इकाई 2 साल की प्रारंभिक वैधता अवधि में उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं है, तो एक वर्ष का विस्तार लिखित में दर्ज होने के लिए वैध कारणों के लिए विकास आयुक्त द्वारा दिया जा सकता है। वीएसी द्वारा एक वर्ष के बाद विस्तार दिया जा सकता है इस शर्त के अधीन कि इकाई की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित गतिविधियों का 2/3 वां पूरा कर लिया गया है और इस आशय का चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र इकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो आगे विस्तार, स्वीकृति बोर्ड द्वारा दिया जाएगा।

यूनिट ने बताया कि कारोबारी माहौल और प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण बदलावों के चलते जिसने दिसंबर 15 और दिसंबर 16 को चेन्नई को तबाह कर दिया था उनके परियोजना में विलंब हुआ। 19 .05.2017 को आयोजित इसकी बैठक में यूएसी ने 12.12.2017 तक वैध एलओपी के 4थे वर्ष के विस्तार को मंजूरी दी थी।

यूनिट ने अब एलओपी के के 5 वें वर्ष के विस्तार लिए अनुरोध किया है और चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफिकेट (अनुबंध -I) प्रस्तुत किया है जो प्रमाणित करता है कि कमीशनिंग और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए आवश्यक 70% गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। इकाई ने अपने परिसर में स्थापित मशीनों की तस्वीरें भी जमा की हैं। इकाई ने यह भी बताया कि उन्होंने 102 रूपये करोड़ 4 साल की अवधि में निवेश किया है। यह कहा गया है कि यात्रा के दौरान संचालित किए गए निरीक्षण और लिये गये फोटो को प्रस्तुत किया गया है (अनुबंध- II)।

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.01 (ख) (ii) के अनुसार:

"अनुमोदन पर, अनुमति पत्र (एलओपी) / आशय पत्र (एलओआई) डीसी / नामित अधिकारी द्वारा ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाई को जारी किया जाएगा। यूनिट को संयंत्र बनाने और मशीनरी स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए एलओपी / एलओआई के पास 2 साल की प्रारंभिक वैधता होगी और इस समय इकाई को उत्पादन शुरू करना चाहिए था। यदि इकाई 2 साल की प्रारंभिक वैधता में उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं होता है, तो डीसी द्वारा लिखित में दर्ज होने के लिए वैध कारणों के लिए एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। यूनिट समिति द्वारा आगामी एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है शर्त के अधीन कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियां पूर्ण हैं और इस प्रभाव के लिए चार्टर्ड अभियंता का प्रमाणपत्र यूनिट द्वारा प्रस्तुत किया गया है।आगे विस्तार, यदि आवश्यक हो, स्वीकृति बोर्ड द्वारा दिया जाएगा "।

<u>डीसी की सिफारिश:</u> डीसी, **एमईपीजेड ने** 13.12.2017 **से** 12.12.2018 **तक** 5 वैं **वर्ष के लिए एलओपी की वैधता के विस्तार के लिए यूनिट के प्रस्ताव की सिफारिश की है।**

2.3 (18) मैसर्स श्री सनमंगल मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड - तांबा पिंड के निर्माण और निर्यात के लिए तमिलनाडु में एक ईओयू स्थापित करने के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स श्री सनमंगल मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड ने तांबे स्क्रैप बर्च से तांबा मिश्र धातु के पिंडों के निर्माण के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक ईओयू स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। यूनिट ने ईएलएमओ ग्रेड (इलेक्ट्रिक मोटर) मिश्रित मोटर स्क्रैप आयात करने का प्रस्ताव दिया है जिसमें बर्च ग्रेड तांबे की वसूली 20% **तक हो जाएगी**, **जिसे बाद में पिंडों में परिवर्तित कर दिया जाएगा और बिना किसी अशुद्धता के साथ शेष** 80% **स्टील स्क्रैप निर्यात किया जा सकता है।**

पांच साल की अवधि के लिए अनुमानित एनएफई 95.61 **करोड़ रुपये है।**

परिशिष्ट 6 **क के अनुसार**, **लौह और गैर लौह धातु प्रस्तावों के रीसाइक्लिंग को स्वचालित स्वीकृति के तहत ही माना जाएगा यदि यूनिट में पिंड बनाने की सुविधा है और मूल्यवर्धन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।**

डीसी, **एमईपीजेड ने कहा है कि स्क्रैप का केवल एक हिस्सा (**20% **तांबे) को पिंडों में परिवर्तित किया जा रहा है**, **शेष (** 80% **हल्के स्टील) को निर्यात करने का प्रस्ताव है**, **प्रस्ताव को स्वचालित स्वीकृति के तहत नहीं माना जा सकता है।**

<u>एफ़टीपी के प्रासंगिक प्रावधान:</u> एचबीपी 2015-20 **के पैरा** 6.01 (**ख)** (i) **के अनुसार :**

ईओयू योजना के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदनों को 15 के भीतर इकाइ अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित या खारिज किया जाएगा , परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6 क में दर्शायी गयी मापदंड और परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6 ख में अनुमोदन से संबंधित क्षेत्र विशिष्ट स्थितियों के अनुसार अन्य मामलों में, अनुमोदन बीओए द्वारा निकासी के बाद डीसी द्वारा दिया जा सकता है।

डीसी की सिफारिश: डीसी, एमईपीजेड ने इकाई के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अपील

3. 6 (18) मैसर्स बिग बैग इंटरनेशनल प्रा लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू - सुनवाई हेतु दिनॉक 19.02.2018 का उच्च न्यायालय का आदेश 27.01.2007 से आगे एलओपी के विस्तार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के खिलाफ अपील

मैसर्स बिग बैग इंटरनेशनल प्रा लिमिटेड, सीएसईजेड के तहत एक ईओयू ने 27.01.2007 से आगे एलओपी के विस्तार के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार करने के खिलाफ कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपी सं. 38304-305 / 2014 दायर किया है। माननीय न्यायालय ने 1 9 .02.2018 के आदेश के अनुसार यूनिट द्वारा दायर आपत्ति पर ध्यान देने के लिए मामले को बीओए को वापस भेज दिया, उस संबंध में सभी सामग्रियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, और सुनवाई में कानून के अनुसार निर्णय लिया।

कर्नाटक के उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 04.04.2018 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में इकाई की अपील को बीओए के समक्ष रखा गया था। दनॉक 03.04.2018 के ईमेल के माध्यम से इकाई ने 04.04.2018 को अपने कानूनी सलाहकार की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई की अगली तारीख मांगी । बोर्ड ने तदनुसार मामले को अगली बीओए बैठक हेतु स्थगित करने का फैसला किया।

दिनॉक 04.04.2018 के पत्र के अनुसार इकाई ने अनुबंध- III में रखे गये दस्तावेज जमा किए ।

<u>मामले का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:</u>

(i) मैसर्स बिग बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर 100% ईओयू है और इसे लैमिनेटेड पॉलीइथीलीन टैरपॉलिन, एचडीपीई / पीपी लेमिनेटेड / लेपित शीट्स, एचडीपीई / पीपी लेमिनेटेड / लेपित रोल्स और एचडीपीई लेमिनेटेड / लेपित तारपाउलिन्स के निर्माण के लिए दिनॉक 20.08.2001 को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 26.01.2002 को उत्पादन

शुरू किया और तदनुसार उत्पादन के शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध एलओपी 25.01.2007 को समाप्त हो गया।

(ii) ईओयू के रूप में अपने ऑपरेशन के दौरान, फर्म को बिना अनुमति के और बिना शुल्क के भुगतान के ईओयू से सामग्री के परिवर्तन 31.03.2003 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं 22 / 03- सीई की शर्तों का उल्लंघन का दोषी पाया गया था। अभियोजन पक्ष प्राधिकरण अर्थात आयुक्त, सीमा शुल्क, बैंगलोर ने याचिकाकर्ता पर शुल्क की मांग की पुष्टि करने जुर्माना लगाने का आदेश देने और माल जब्त करने का आदेश दिनॉक 16.12.2005 के आदेश पारित किया। उपरोक्त आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष दायर अपील को सीईएसटीएटी ऑर्डर-इन-अपील नंबर सी 137, 38, 3 9, 47, 31, 42/2006 दिनांकित 3.8.2007 को दंड और सामान जब्त करने के लिए निपटाया गया था।

(iii) सीईएसटीएटी के समक्ष दायर अपील का लंबित निपटान, 11.1.2007 के आवेदन के जरिये इकाई ने अगले वर्ष (2) ब्लॉक अवधि के लिए 26.01.2007 से ईओयू स्थिति के विस्तार के लिए विकास आयुक्त से संपर्क किया। अस्वीकृति के कारण बताते हुए 29.11.2007 के पत्र के जरिये एलओपी के नवीनीकरण के मामलों में विदेशी व्यापार नीति के पैरा 6.6 (क) के तहत उनके द्वारा दिए गए विवेक के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, यूनिट को सीमा शुल्क औपचारिकताओं के पालन के अधीन डी-बॉन्ड के लिए निर्देशित किया गया था।

(iv) अस्वीकृति से पीड़ित होकर, यूनिट ने ईओयू (बीओए) के लिए बोर्ड के समक्ष अपील दायर की, जिसने डीसी के फैसले को बरकरार रखा और 15.04.2010 के पत्र संख्या 14/02/2010-ईओयू के फैसले को बताया। इकाई ने बीओए के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया, जिसने बीओए को बीओए के समक्ष दायर याचिका पर याचिकाकर्ता को सुनवाई और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

(v) तदनुसार, इकाई को 23.11.2012 को आयोजित इसकी 5 वीं बैठक (2012 सीरीज) में बीओए के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि, मामला स्थगित कर दिया गया क्योंकि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए यूनिट का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। इसके बजाए, इकाई ने दूसरी तारीख मांगी क्योंकि इसके निदेशक व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लेने में असमर्थ थे।

(vi) 18.01.2013 को आयोजित बीओए की पहली बैठक (2013 सीरीज) में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए मामले पर विचार किया गया था। बीओए ने श्री बीएन गुरुराज, वकील, यूनिट के अधिकृत प्रतिनिधि को सुना, और उनके द्वारा किये गये लिखित सबमिशन को रिकॉर्ड किया। यूनिट की अपील पर बीओए द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित कारणों के आधार पर इसे अस्वीकार कर अपील का निपटान करने का निर्णय लिया गया:

- यूनिट को ईओयू योजना के तहत आयात किए गए सामग्री को हटाने और सीमा शुल्क / केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना सीईएसटीएटी द्वारा इकाई को दोषी पाया गया था और इस प्रक्रिया में आयात की शर्तों का उल्लंघन किया गया था।

- इकाई ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों की शर्तों का उल्लंघन किया।

- विकास आयुक्त ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.6 (क) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए 26/01/2007 परे एलओपी के नवीकरण के लिए इकाई के आवेदन खारिज कर दिया था।

(vii) बीओए के उपरोक्त निर्णय को दिनॉक 02.07.2013 पत्र संख्या 13/9/200 9-ईओयू के माध्यम से इकाई को सूचित किया गया था। बीओए के फैसले से पीड़ित, इकाई ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ बीओए के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क किया:

- दिनॉक 02.07.2013 के बीओए द्वारा जारी आदेश को रद्द करना।

- डीसी, सीएसईजेड को दिनॉक 11.01.2007 को एलओपी के नवीकरण के लिए आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित करना

- कोई अन्य राहत प्रदान करना जैसा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझा जाता है ।

(Viii) डब्ल्यूपी में यूनिट द्वारा उल्लिखित ग्राउंड का उल्लेख निम्नानुसार है:

- दिनॉक 02.07.2013 का अपमानित आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश है। बोर्ड ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए यूनिट के किसी भी निवेदन पर विचार नहीं किया ।

• इकाई ने प्रस्तुत किया कि उसने ईओयू के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था और निर्यात दायित्व के संतोषजनक निर्वहन में यूनिट के हिस्से में कोई विफलता नहीं थी और एलओपी के नवीनीकरण के हकदार थे। इकाई ने यह भी उल्लेख किया कि यह एफ़टीपी में सशर्त उदाहरण नहीं था कि एक ईओयू जिसे किसी अन्य कानून के तहत दंड का सामना करना पड़ा था, वह एलओपी के नवीकरण की मॉग नहीं कर सका।

• यह कहा गया है कि 26.01.2007 और 2 9 .11.2007 के बीच नवीनीकरण आवेदन की लंबमानता के दौरान, चूंकि इसे शुल्क मुक्त इनपुट प्राप्त करने की अनुमति थी इसलिए इकाई ने उम्मीद की थी कि कम से कम उस अवधि के लिए, उनके एलओपी को नवीनीकृत किया जा सकता है।

• इकाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1 9 62 की धारा 72 के तहत जहां सामानों को गोदाम से अनुचित तरीके से हटा दिया गया है, ऐसे सामानों के संबंध में सभी जुर्माना, किराया, ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ शुल्क की पुर्ण राशि की मांग की जा सकती है। लेकिन धारा में कहीं भी, यह निर्धारित नहीं किया गया है कि "अनुमति" की आवश्यकता होती है यदि सामान गोदाम से अनुचित तरीके से हटा दिया जाता है या इस तरह के निष्कासन के परिणामस्वरूप एलओपी के विस्तार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

• इकाई ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्ष 2004 के दौरान, इकाई को आयातित शुल्क मुक्त प्लास्टिक ग्रेन्युल और शुल्क मुक्त घरेलू रूप से निर्मित प्लास्टिक ग्रेन्युल की खरीद में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।इसलिए, इकाई ने व्यापारियों से प्लास्टिक ग्रेन्यूल उधार लिया। यह कहा जाता है कि अपने स्वयं के स्टॉक की प्राप्ति के बाद उधार में ली गयी प्लास्टिक ग्रेन्युल की बराबर मात्रा व्यापारियों को वापस कर दी गयी थी, इस प्रकार स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए आयातित प्लास्टिक ग्रैन्यूल का कोई परिवर्तिन नहीं था या व्यापारियों के साथ लेनदेन में यूनिट को अर्जित कोई वाणिज्यिक लाभ था।

• यूनिट ने प्रस्तुत किया कि बीओए ने 02.07.2013 के आदेश को पारित करते हुए इकाई द्वारा प्राप्त सकारात्मक एनएफई पर विचार नहीं किया था। इसलिए, अपमानित आदेश में यह निष्कर्ष कि "इकाई ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना की शर्तों और एफ़टीपी के प्रावधानों का उल्लंघन किया" स्पष्ट रूप से गलत है।

(IX**)** **माननीय न्यायालय ने दिनॉक** 19 .02.2018 **के आदेश के अनुसार यूनिट द्वारा दायर आपत्ति पर ध्यान देने के लिए मामले को बीओए को वापस भेज दिया, उस संबंध में सभी सामग्रियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, और सुनवाई में कानून के अनुसार निर्णय लिया।**

इस प्रकार, यूनिट की अपील तदनुसार बीओए के समक्ष रखी गयी है।

भाग II

1 99 5 के प्रेस नोट नंबर 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन दिये गये

क	**दिसंबर** , 2017 **से फरवरी**, 2018 **की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए**	**वीएसईजेड**
ख	**नवंबर** , 2017 **से मार्च**, 2018 **की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन दिए गए**	**एनएसईजेड**